क्रम संख्या–127 (ग) पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 06 दिसम्बर, 2023 ई0

अग्रहायण 15, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

संख्या 1086/XVII-B-1/2023–03(01)2021

देहरादून, 06 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

चूंकि सेवाओं या लाभों या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता व दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और चूंकि, **अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड** (जिसे इसके पश्चात विभाग के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन संचालन योजना** (जिसे इसके पश्चात योजना के रूप में संदर्भित किया गया है।) का संचालन कर रहा है, जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए **संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, उच्च न्यायिक सेवा/प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक)** परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने एवं **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण प्रोत्साहन योजना (द्वितीय भाग) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यार्थियों को IITs (Indian Institute of Technology), IIMs (Indian Institute of Management), AIIMs (All India Institute of Medical Sciences), IIS (Indian Institute of Science), IISAR (Indian Institute of Science and Applied Research), MCI (Medical Council of India), AICTE (All India Council for Technical Education) एवं BCI (Bar Council of India) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं CLAT (Common Law Admission Test) हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त प्रोत्साहन के रूप में राशि प्रदान की जाती है।** इस योजना को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड (जिसे इसके पश्चात कार्यान्वयन संस्था के रूप में संदर्भित किया गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

और चूंकि, योजना के अधीन योजना की मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही द्वारा **उत्तराखण्ड राज्य के चयनित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र–छात्राओं** (जिसे इसके पश्चात लाभ के रूप में संदर्भित किया गया है) को दी जाती है।

और चूंकि, उपरोक्त योजना के तहत एकमुश्त व्यय शामिल है, जिसका भुगतान उपरोक्त योजना के तहत उत्तराखण्ड राज्य की राज्य सेक्टर योजना से होने वाले व्यय में शामिल है।

अतः अब, राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकाओं, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करते हैं, अर्थात :–

1. (1) उक्त योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करे अथवा आधार प्रमाणीकरण कराए।

(2) उक्त योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है अथवा जिनका अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं हुआ है, से यह अपेक्षित है कि वह योजना हेतु आवेदन करने से पूर्व आधार नामांकन हेतु आवेदन करे, परन्तु यह कि यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) में संपर्क कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, उन लाभार्थियों के लिए, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और उनके पास आधार नहीं है और उन्हें आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है को विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से, संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में स्थित नामांकन केंद्र, से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय में या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

परन्तु यह कि जब तक पात्र व्यक्ति को आधार आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों को योजनाओं के अधीन लाभ दिया जाएगा, बशर्ते कि निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं, अर्थात्:–

(क) यदि उसके द्वारा नामांकन कराया गया है, तो उसकी आधार नामांकन पर्ची और
(ख) निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज, अर्थात्:–

(i) फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक; या
(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड, या
(iii) पासपोर्ट, या
(iv) राशन कार्ड, या
(v) मतदाता पहचान पत्र, या
(vi) मनरेगा कार्ड, या
(vii) किसान फोटो पासबुक, या
(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, या
(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र या आधिकारिक लेटर हेड पत्र, या
(x) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परन्तु यह कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जायेगी।

2. योजनान्तर्गत हितग्राहियों को सुविधापूर्वक लाभ प्रदान करने के लिए विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आधार की आवश्यकता के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए उपयुक्त माध्यमों से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा तथा इस हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

Examination and Higher Judicial Service/Provincial Civil Service (Judicial) conducted by Uttarakhand Public Service Commission incentive amount to be given to the candidates and to the minority category candidates under the **Mukhyamantri Alpsankhyak Protsahan Yojana (Second Part) IITs** (Indian Institute of Technology), **IIMs** (Indian Institute of Management), **AIIMs** (All India Institute of Medical Sciences), **IIS** (Indian Institute of Science), **IISAR** (Indian Institute of Science and Applied Research), **MCI** (Medical Council of India), **AICTE** (All India Council for Technical Education), **BCI** (Bar Council of India) and **CLAT** (Common Law Admission Test) **the amount is provided as incentive after successful in the entrance examinations of National Level Institutions.** The Scheme is implemented through the **Minority Welfare Department, Uttarakhand** (hereinafter referred to as the implementing agency).

And whereas, the benefit under the Scheme (hereinafter referred to as the benefit) is given to the selected minority categories students of the State of Uttarakhand by proceeding in accordance with the extant guidelines of the Scheme.

And whereas the aforesaid scheme includes lump sum expenditure which is paid from the State Sector Scheme of the State of Uttarakhand under the aforesaid scheme.

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the government of Uttarakhand hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby by required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :-

(a) If he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

3. उन सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारणों से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, आईरिस स्कैन या फेस प्रमाणीकरण सुविधा को प्रमाणीकरण के लिए अपनाया जाएगा, जिसके चलते विभाग, अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभ के सुविधाजनक परिदान के लिए आईरिस स्कैनर या फेस प्रमाणीकरण का प्रावधान फिंगरप्रिन्ट प्रमाणीकरण के साथ करेगा।

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, जहां भी संभव हो और ग्राह्य हो, आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम–आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय वैधता के साथ प्रमाणीकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा।

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम–आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के अधीन लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अधीन कोई भी पात्र लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित तो नहीं है, विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से डीबीटी मिशन, कैबिनेट, सचिवालय, भारत सरकार 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अपवाद प्रबंधन तंत्र का अनुपालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

एल0 फैनई,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the English translation of Notification **No. 1086/XVII-B-1/2023-03(01)/2021,** dated December 06, 2023 for general information:

No. 1086/XVII-B-1/2023-03(01)/2021
Dated Dehradun, December 06, 2023

NOTIFICATION

Whereas, the use of Aadhar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery process, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlement directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the **Minority Welfare Department, Uttarakhand** (hereinafter referred to as the Department) is administering the **Mukhyamantri Alpsankhyak Protsahan Sanchalan Yojana** (hereinafter referred to as the Scheme), under which the minorities for preparation of competitive examinations for the candidates belonging to this category, Indian Civil Service Examination conducted by Union Public Service Commission and Uttarakhand State and Upper Subordinate Services (Direct Recruitment) Combined Competitive

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the necessity of Aadhaar.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fairs due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar one Time password or Time-based one-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar one Time password or Time-based one-Time password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order,

L. FANAI,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 अ0क0अनु0/528–2023–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।